फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुकाम बायतु

खेराजराम वगैरा बनाम देराजराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 203/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.06.17	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थीगण के अनुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि मौजा मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खसरा नम्बर 24, 26, 84, 111 रकबा कमशः 23.15, 18.03, 18.13, 32.10 बीघा कुल रकबा 93.01 बीघा में आई हुई है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि को विप्रार्थीगण हस्तक्षेप, बाधा व दखलअन्दाजी करने व प्रार्थीगण के खेत की सेढा माठे तोड़ने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 07.08.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मदरूपोणियों की ढाणी पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खसरा नम्बर 24, 26, 84, 111 रकबा कमशः 23.15, 18.03, 18.13, 32.10 बीघा कुल रकबा 93.01 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी, बाधा कारित नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा--पक्का निर्माण करें व प्रार्थीगण के खेत के सेढा माठ तोड़ने का प्रयास नहीं करें तथा उक्त आराजी के मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 07.08.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

07/8/17 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली फाईल दिनांक 20/11/2017 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

20/11/17 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली फाईल दिनांक 19/12/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

19/12/17 — प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 22/01/18 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

22/01/18 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 27/03/18 को पेश हो। [signature]

27/03/18 — प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल अदम तामिल अप्राप्त। प्रार्थी वकील अप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश करें पेश होने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 11/06/18 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मीटिंग में पधारे हुए हैं अतः मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 25/06/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	
27/05/19	विप्रार्थी संख्या-1 से 3 की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा वकालतनामा मय प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली को आज तलब कर सुनवाई करने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर पत्रावली ~~आज तलब~~ पेशी तारीख पर तलब की गई। विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नोटिस तामिल असल तामिल अप्राप्त/जो जारी होकर पत्रावली दिनांक 31/05/19 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्वादेशानुसार यथावत रहेगा।	27/05/19 27/05/19 मैं जवाब पेश नहीं करना चाहता 31-5-2019
31/05/19	प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या-1 से 3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-4 व 5 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-4 स्वयं उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-4 जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। जिनका जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11/06/18	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 13/08/18 को पेश हों।	
13/08/18	अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/10/18 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
30/10/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	
14/01/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 11/02/19 को पेश हों।	
11/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा अप्रार्थीगणों के नोटिस पुनः पेश नहीं किये गये। अन्तिम पेश करना चाहते हैं। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली अन्तिम दिनांक 15/05/19 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आवे० नं० - 203/17 अनवार-खेराजराम V/S डेराजराम वगैरा	
31.5.19	निषेधाज्ञा के पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है तथा न ही अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होना साबित है। प्रकरण मात्र मापजोख, सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी से ही संबंधित है। अत: उपरोक्त तथ्यों एंव विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० का० अधि०-1955 का सारहीन व साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। तथा साथ ही प्रकरण मात्र सिमाज्ञान व पत्थर गढी से सम्बधित होने के कारण प्रार्थीगण के विप्रार्थी संख्या-1 से 3 के लगती हुई खातेदारी भूमि का नियमानुसार सिमाज्ञान करवाया जाना भी न्यायोचित है ताकि भविष्य में विवाद न बढे। अत: तहसीलदार बायतु को निर्देशित कीया जाता है कि प्रार्थीगण की विप्रार्थी संख्या- 1 से 3 के लगते हुए खातेदारी खेत का नियमानुसार सिमाज्ञान विप्रार्थीगण के पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान सम्पादित करावें। इसी निर्देश के साथ प्रकरण खारीज कर फैसल शुमार हो, तथा नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाबता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 31.5.2019 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आवे० सं० - 203/17 अलवाइन्र खेताराम वि० देवाराम वगैरह	
31.5.19	ने बताया की विपार्थीगण शान्त स्वभाव के व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है तथा वर्तमान में विपार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेथमबन्दी करवाकर चारों ओर पक्के नेथम स्थापित करते हुए तारबन्दी करवानी चाहते है लेकिन प्रार्थीगणो द्वारा एकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर विपार्थीगणो की नेथमबन्दी को प्रभावित करना चाहते है। ताकि विपार्थीगण अपने खेत की नेथमबन्दी कर पत्थर न गाड़ सके व तारबन्दी न कर सके। जबकी प्रार्थीगण व विपार्थीगण उक्त भूमि के मूल खसरे में सहखातेदार थे। वर्तमान में खातेदारो के मध्य विभाजन हो जाने से राजस्व रेकर्ड में अलग-अलग खसरे दर्ज है। इसलिए कोई भी सहखातेदार के विरूद्ध कोई एक खातेदार द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त किये गये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.6.17 को खारीज फरमाया जावे। जबकि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान किया जावे तथा सीमाज्ञान होने के उपरान्त विपार्थीगणों के खेत की नेथमबन्दी की जाती है तो हमे कोई एतराज नहीं है। हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद बहस पर मनन व राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व विपार्थीगण अपनी-अपनी खातेदारी भूमि के काश्तकार है तथा वे एक दूसरे खातेदार को बिना किसी ठोस व विधिक कारण के जरिये किसी अस्थाई	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु